

फर्द अहकाम

Dem 258 (डियम 26) 02/10/19

अज अदालत

सरकार

मुकाम

मीरा बोधी

बनाम

047/2019
सन्

किस्म मुकदमा

नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23 ¹² / ₁₉	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राचीन तालखीदार, ओखियाँ के द्वारा पारना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत अनिवेदन किया कि ग्राम कुशीनगर के रकन 154 रकबा 41.09 जमाबन्दी में खाता संख्या 19 में एक ही खसरे के रूप में दर्ज है। जबकि मौके पर विषय अनुसार मूल तालखीदार के खातेदार का अलग-रहिये पर कलना काश्त है। जमाबन्दी खेती शान में कलना काश्त अनुसार बडानगर अनुसार राजस्व नमशा शीट में डुरस्ती करना आवश्यक है।</p> <p>पारना पत्र के पक्ष में पत्रवारी एवं निरीक्षण (अड) की मौका रिपोर्ट सैलफ्तन है। सहायति के रूप में खसरेदार अलखीदान, लालदान एवं मोहनदान के टस्काकर है। राजस्व रिकॉर्ड को डुरस्ती करने की स्वीकृति की जाती है। प्रस्तुत प्रस्तावों की तस्वीक एक परत पुनः लोपय जाग है। राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराभद करे।</p> <p>पत्रावली के सत्व प्रकार डोकुर नम्बर से कम है।</p>	<p>कावकी</p> <p>गामदी</p> <p>मोहनदान</p>

अखण्ड अधिकारी

सहायक अधिकारी व
कार्यपालक अधिकारी, ओखियाँ

